Bill No.17 of 2025

THE RAJASTHAN FISHERIES (AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fisheries Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Fisheries (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In section 8 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "five hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "one thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. XVI of 1953.- In sub-section (1) of section 11 of the principal Act, for the existing expression "one hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Fisheries Act, 1953 was enacted to provide for the protection, conservation and development of fisheries in the State of Rajasthan. Section 8 of the Act provides for penalties to be imposed, on any person contravening any provision of this Act and also, on a person, having once been convicted of a fishing offence, is again convicted of the same or any other fishing offence. In the present context the penalties are very meager under this Act and fishing offences are increasing day by day. In order to bring down the incidences of fishing offences the State Government has felt the urgent need to revise the rate of penalties. Section 11 of the Act provides for the power to compound offences by accepting a certain amount of sum. It has been decided to enhance the sum to be accepted for compounding the offence.

Accordingly, sections 8 and 11 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FISHERIES ACT, 1953

(Act No. XVI of 1953)

XX XX XX XX XX XX

8. Penalties.- (1) If any person contravenes any provision of this Act or of the rules or orders made or notifications issued thereunder, he shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) Whoever, having once been convicted of a fishing offence, is again convicted of the same or any other fishing offence shall for every subsequent offence be punishable on conviction with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

XX XX XX XX XX XX

11. Power to compound offences. – (1) Any offence specified in the Schedule may be compounded by such officer or authority as may be empowered by the State Government in this behalf by acceptance of a sum not exceeding one hundred rupees.

(2) On composition of an offence, the accused shall be discharged any property seized from his possession shall be released.

XX XX XX XX XX XX

2025 का विधेयक सं.17

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में,-

(i) उप-धारा (1), में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में विद्यमान

अभिव्यक्ति "सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में मत्स्य-क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण, और विकास के लिए राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 8, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति पर और किसी ऐसे व्यक्ति पर भी जो मछली पकड़ने के अपराध के लिए एक बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो, और उसके वैसे ही अपराध या मछली पकड़ने के किसी अन्य अपराध के लिए पुन: सिद्ध दोष ठहराया जाने पर, शास्तियां अधिरोपित करने का उपबंध करती है। वर्तमान संदर्भ में इस अधिनियम के अधीन शास्तियां बहुत कम हैं और मछली पकड़ने के अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मछली पकड़ने के अपराधों की घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने शास्तियों की दर पुनरीक्षित किये जाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की है। अधिनियम की धारा 11 एक निश्चित राशि स्वीकार कर अपराधों का शमन करने की शक्ति का उपबंध करती है। यह विनिश्चित किया गया है कि अपराधों के शमन के लिए स्वीकृत राशि को बढाया जाये।

तदनुसार, राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 की धाराएं 8 और 11 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्श्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX

8. शास्तियां.- (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किये गये आदेशों या जारी की गई अधिसूचनाओं का उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति मछली पकड़ने के अपराध के लिये एक बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो; और वह वैसे ही अपराध या मछली पकड़ने के किसी अन्य अपराध के लिये पुन: सिद्धदोष ठहराया जाय तो वह प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दोष सिद्धि पर, कारावास से, जो छ: मास तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

XX XX XX XX XX XX XX

11. अपराधों का शमन करने की शक्ति.- (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध सौ रुपये से अनधिक राशि स्वीकार कर ऐसे किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय।

(2) किसी अपराध के शमन पर, अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जायेगा तथा उसके कब्जे से अभिग्रहीत सम्पत्ति निर्मुक्त कर दी जायेगी।

XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 17 of 2025

THE RAJASTHAN FISHERIES (AMENDMENT) BILL, 2025

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Fisheries Act, 1953.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

2025 का विधेयक सं.17

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, **प्रभारी मंत्री)**